प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता ,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं0 24/12–13

बालकेश्वर भगत वनाम् जगदीश साव एवं अन्य

आदेश

21.03.14

आवेदक श्री बालकेश्वर भगत पिता स्व0 शिवशरण भगत ग्राम मुरादपुर हुजरा,बैदराबाद थाना वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर आवेदन पत्र में वर्णित भूमि का सीमांकन कर पीलरिंग कराने का अनुरोध किया है। आवेदन पत्र में वर्णित भूमि (विवादित भूमि) जो मौजा मुरादपुर हुजरा बैदराबाद थाना वो जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
111	644	कुल 9 डी0 जानिब पश्चिम तरफ से 5 फीट चौड़ा लगभग पूरब से पश्चिम 122'लम्बा उतर से दक्षिण	उ0–रास्ता द0–छौर पू0–निज प0–विपक्षीगण

वाद की प्रविष्टि की गई एवं विपक्षीगण की उपस्थित हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि आवेदक एवं उनके छोटे भाई की खरीदगी भूमि है जिसका डिमाण्ड उनके तथा उनके छोटे भाई के नाम से अंचल कार्यालय में कायम है। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि के बदले अपने छोटे भाई को अलग हिस्सा दे दिया गया है तथा प्रश्नगत सम्पूर्ण भूमि वादी का है तथा वादी का दखल कब्जा कायम है। प्रश्नगत भूमि के लगभग 1/2 अंश पर वादी का आवासीय मकान निर्मित है जिसमें वादी सपरिवार निवास कर रहे हैं तथा 1/2 अंश पर वादी का वृक्ष वगैरह लगा हुआ है। प्रश्नगत भूमि के पश्चिम तरफ प्रतिवादीगण की भूमि है तथा वे वादी की भूमि पर सीमा विवाद कायम किये हुए है। उनकी मंशा वादी की भूमि में दरवाजा खोलने तथा वादी के भूमि को अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की है। अतःप्रश्नगत भूमि का सीमांकन कर भूमि पर पीलरिंग कराने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि के खाता, प्लॉट में ही अलग अलग तिथि में वादी प्रतिवादी जमीन की खरीद किये थे। उन्होंने विवादित जमीन का नापी हेतु अपनी सहमति दी थी ।

उभय पक्षों के सहमति के आलोक में प्रश्नगत जमीन का नापी सर्वे जानकर अधिवक्ता आयुक्त श्री वशिष्ट नारायण से करायी गई। नापी उपरान्त प्रतिवेदन प्राधिकार को सौपा गया जिसपर किसी पक्ष के द्वारा कोई आपति दाखिल नही किया गया और नापी प्रतिवेदन को संपुष्ट किया गया

नापी प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक द्वारा जमीन मात्र 9 डी० क्रय की गई है परन्तु उनके दखल कब्जा में 9.94 डी० जमीन है अर्थात् क्रय की गई जमीन से अधिक जमीन आवेदक के दखल कब्जा है। अतःआवेदक के दावा को अस्वीकृत कर वाद को खारिज किया जाता है

लेखापति एवं संशोधित

21.09

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल ।

21.09

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

Seen
Vidya Sagar Singh
24.9.12